भारत में खाद्य सुरक्षा सिंहावलोकन

राजकिशोर धामाणी
व्याख्याता अर्थशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज.)

शोध सारांश - भारत में प्राचीन समाज, लोक जीवन और शासन व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा का विचार विभिन्न रूपों में विद्यमान था, शास्त्रों में इसके कई उदाहरण मिलते है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुकी है। खाद्य सुरक्षा एक जटिल प्रश्न है । परन्तु किसी भी देश की उन्नति का पहला स्तंभ यही है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापक कुपोषण का खात्मा नीति-नियंताओं के लिए देश के सबसे बड़े और गंभीर समस्याओं में से एक और खासी चुनौतिपूर्ण विषय है। भारत सरकार ने सांवैधानिक दायित्व और वैष्विक संधियों की प्रतिबद्धता निभाते हुए 10 सितम्बर 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' लागू कर भारत के इतिहास में अब तक का पहला प्रयोग किया है, जिससे नीति- निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा, हकदारी और उसकी सुलभता को प्रभावित करने वाले बहुआयामी कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। खाद्य असुरक्षा मूलत: भोजन को लेकर नहीं है बल्कि इस बात पर आधारित है कि देश की सीमांत जनसंख्या अधिकारों, स्वतंत्रता और क्षमताओं को लेकर कितनी समर्थ है कि वह स्वस्थ और पोषित जीवन जी सकें।

प्रस्तावना- खाद्य सुरक्षा एक जटिल प्रश्न है परन्तु किसी भी देश की उन्नति का पहला स्तंभ यही है। मानव जीवन के प्रारम्भ से ही खाद्य सुरक्षा प्रमुख चुनौती रही है। दुनिया के कई देशों में आज भी खाद्य सुरक्षा का संकट है। बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी खतरे के मद्देनजर भारत जैसे बड़े देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है । देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था कि 'सभी इंतजार कर सकते है लेकिन खेती नहीं' इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नेहरूजी ने देश में खाद्यानों की आत्मनिर्भरता को आवश्यक मानते हुए कहा- 'जैसे ही हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाते है, तभी हमारे लिए अपनी प्रगति और विकास करना संभव होगा। खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किए बिना विकास की कल्पना को साकार करना संभव नहीं है ।" बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हरितक्रांति के बल पर भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर चिरकालिक अकाल और भुखमरी की भयंकर त्रासदियों से निजात तो पा ली लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से को मानकों के अनुरूप पोषणयुक्त आहार मुहैया कराना अब भी बड़ी चुनौती है।

खाद्य सुरक्षा का सपना वर्ष 2009 में मूर्त रूप लेना शुरू हुआ था। राजनीतिक घटना चक्रों और कई दौर के वाद-विवाद, शंकाओं आदि से निकलकर अंतत: साकार हो गया। भारत सरकार ने संवैधानिक दायित्व और वैश्विक संधियों की प्रतिबद्धता निभाते हुए 10 दिसम्बर 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' लागू किया। इस अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज पाने का कानूनी हक प्राप्त **है।**

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापक कुपोषण का खात्मा नीति नियंताओं के लिए देश के सबसे बड़े और गंभीर समस्याओं में से एक और खासी चुनौतिपूर्ण विषय है। भोजन मानव की कई मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार 'खाद्य सुरक्षा से आशय उस स्थिति से है जब सभी लोगों की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौषणिक खाद्य तक हो और जो उन्हें सक्रिय

और निरोगी जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकता और खाद्य वरीयता को पूरा करता हो ।' असल में खाद्य सुरक्षा के विषय ने नब्बे के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा। 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (वर्ल्ड फूड समिट) ने सभी देशों में भुखमरी के उन्मूलन का लक्ष्य तय करते हुए 2015 तक कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या तत्कालीन आधार स्तर से घटाकर आधी करने का दृढ़ निश्चय किया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून (1999) के विभिन्न अभिकरणों में भोजन के मानव अधिकार को मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) तय किए तो उसमें भी भूखे रहने वालें लोगों की संख्या 2015 तक घटाकर आधी करने का लक्ष्य भी रखा। संयुक्त राष्ट्र ने 25 दिसम्बर 2015 को सतत् विकास का नया एजेंडा तय करते हुए 2030 तक दुनिया से भूख की समस्या समाप्त करने का संकल्प लेकर 'जीरो हंगर' को सतत् विकास के 17 लक्ष्यों में शामिल किया है।

भारत में खाद्य सुरक्षा - भारत में प्राचीन समाज, लोक जीवन और शासन व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा का विचार विभिन्न रूपों में विद्यमान था, शास्त्रों में इसके कई उदाहरण मिलते है। मसलन, तैत्तिरीयों पनिषद में 'अन्नम ब्रह्मा अर्थात् अन्य ब्रह्मा है और अनिदै प्रजारू प्रजायलेर.... अथौ अन्नेनैव जीवन्ति, जैसी सुक्तियों के रूप में मानव जीवन के **लिए** अन्न की महत्ता रेखांकित की गई है। इसी तरह महान नीतिज्ञ कौटिल्य ने भी अपनी कालजयी कृति 'अर्थशास्त्र' में सषक्त राष्ट्र के लिए 'जनपदनिवेश' में प्रजा के लिए खाद्य सुरक्षा और कोषसंचय सुनिश्चित करने वाले उपायों की जरूरत पर बल दिया है। हालांकि मध्यकाल के दौरान बाहरी आक्रमण और भुखमरी की भीषण आपदाएं भी झेलनी पड़ी। यही वजह है कि 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया । वही नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य का कर्तव्य तय किया। सत्तर के दशक में समन्वित बाल विकास योजना शुरू कर अनुच्छेद 47 के अनुरूप बच्चों को पोषाहार मुहैया कराने की शुरूआत की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की ओर भी सरकार का ध्यान गया और जगह-जगह राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को अनाज उपलब्ध कराने की शुरूआत हुई। इसे जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीवीडीएस) का रूप दिया गया। इस तरह उपरोक्त पृष्ठभूमि में टीपीडीएस में समय-समय पर परिवर्तन और कई वर्षो के विचार मंथन के बाद 2013 में संसद ने बहुचर्चित 'खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया और 10 सितम्बर 2013 को जारी अधिसूचना से 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून' पूरे देश में प्रभावी हुआ । केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर भारत के इतिहास में अब तक का पहला प्रयोग किया है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य देश के सभी लोगों को हर वक्त सम्मान सहित पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रावधान करना है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति- अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तथा ज्या द्रेज ने 'भोजन का अधिकार' को जरूरी अधिकार बताते हुए कहा था कि इसमें और देरी नहीं की जानी चाहिए। इसमें और देरी गरीबों के साथ धोखाधड़ी होगी । " समस्त दुनिया के भूगोल से हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे नदारत हो जाते है और उस पर तुर्रा यह कि हमारे विकसित समाज के अग्रदूत बच्चे हमारे सुनहरे कल के भविष्य है। हमने वैश्विक स्तर पर घोषणाएं की कि हम आने वाले वर्षो में बच्चों की सुरक्षा, विकास और स्वास्थ्य की न केवल देख-रेख करेंगे, बल्कि अपने देश में उन्हें बुनियादी हक के तौर पर सांवैधानिक अधिकार भी दिलाएंगे।' संयुक्त राज्य संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग दस लाख बच्चों की कुपोषण से मौत हो जाती है। विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना ब्लैक डेथ नामक महामारी से की है। टाइम्स ऑफ इंडिया (2015) के अनुसार पूरे विश्व में अकेले भारत में 5 साल से कम आयु के शिशुओं की सर्वाधिक मृत्यु दर (22 प्रतिशत) है। जिसमें से 50 प्रतिशत शिशुओं (5 साल से कम आयु) की मृत्यु का कारण कुपोषण है। विश्व बैंक के 'अनुसार भारत में कम भार के शिशु सर्वाधिक है जिसका कारण कुपोषण **है।** ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2015 के अनुसार भारत कुपोषण के कारण विश्व में सर्वाधिक भूख वाले 20 देशों की श्रेणी में आता है। भारत **में** 52 प्रतिशत शादीशुदा महिलाओं को अनीमिया है तथा औसतन प्रति मिनट एक बच्चा कुपोषण के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यही नहीं भारत की 14 प्रतिशत महिलाएं तथा 18 प्रतिशत पुरुष ओबेसिटी (मोटापा)

के शिकार है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के आर्थिक 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स- 2015' पर 118 देशों में भारत का स्थान 97वां है। (तालिका 1) भारत इस सूचकांक पर अपने पड़ोसी देशों - बांग्लादेश, नेपाल व चीन से भी पीछे है।

इसी तरह कुल आबादी में कुपोषण के शिकार लोगों का प्रतिशत भी चीन व अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा भारत में काफी अधिक है। एफएओं की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-16 में भारत में 15 प्रतिशत लोग कुपोषण के षिकार है जबकि चीन ने यह आकड़ा 9 प्रतिशत, विकासशील देशों में 12.9 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 10.9 प्रतिशत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते दो दशकों में चीन ने अपने यहां कुपोषण के शिकार लोगों के अनुपात कम करने में काफी प्रगति की, लेकिन भारत इस मामले में सुस्त साबित हुआ।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ- देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लम्बे समय तक सतत् बनाए रखना एक कठिन चुनौती है अध्ययनों से पता चला है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सात प्रतिशत की वृद्धि दर मानी जाए तो वर्ष 2050 में अनाज की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों में 100 से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका अर्थ यह भी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी मांग 3000 किलो कैलोरी से अधिक हो सकती है। इसके लिए खाद्यानों की उत्पादकता वर्तमान 25000 किलों कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन से बढ़कर 46000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के स्तर पर ले जानी होगी। कृषि का प्रकृति से सीधा संबंध है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा ही कारक है जिससे प्रभावित होकर कृषि अपना स्वरूप बदल सकती है तथा इस पर निर्भर लोगों की खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ' गरमाती धरती या 'ग्लोबल वार्मिंग' की वैश्विक विपदा को खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। वैज्ञानिक अनुमान बताते है कि यदि हम औसत तापमान की बढ़ोत्तरी पर कोई सार्थक रोक लगा नहीं पाते तो सन् 2050 तक औसत तापमान में 2.2 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि ; हो सकती है। इससे रबी और खरीफ फसलों के साथ-साथ फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन तथा मछली उत्पादन पर चोट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 10 खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाये रखने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2050 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 2010-11 के 0.13 हेक्टेयर से घटकर मात्र 0.09 हेक्टेयर रह जाएगी, जो एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही कृषि भूमि का लगातार अन्य विकास कार्यो तथा आवास के लिए उपयोग होना भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट है। इसी तरह सिंचाई के पानी की लगातार कमी होना भी एक गंभीर संकट की ओर इषारा करता है। कृषि के **लिए** ऊर्जा की कमी, भूमि का क्षरण ओर जैव विविधता का ह्रास भी खाद्य सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.वी.) के अनुसार अनाज के रख-रखाव के गलत तौर-तरीकों के कारण दुनिया में हर वर्ष 1.3 अरब टन खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते है। हर वर्ष दुनिया में कुल उत्पादित खाद्य पदार्थ का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यू. एन. ई. पी. ने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) तथा बेस्ट रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम (डब्ल्यू. आर. ए.पी.) जैसे संगठनों के साथ मिलकर 'खाद्यान्न बचाओं' नाम **से** वैश्विक पहल **की** है।" हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनाज गोदाम का जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय ग्रिड बनाए जाने की जरूरत है। हमें **उन** गांवों से अनाज संरक्षण अभियान शुरू करने की जरूरत है, जहां ज्वार, बाजरा, और रागी जैसी स्थानीय फसलों के सामूहिक अन्न बैंक नहीं है। 12 खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे अहम है योजनाओं और कार्यक्रमों के सही तरीके से क्रियान्वयन करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने की। साथ ही जन-जागरूकता और खाद्यान्न उपलब्धता के साथ उनका सही प्रबंधन तथा कृषि क्षेत्र की गिरावट को रोकना इस दिशा में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।

भारत में खाद्य सुरक्षा के अवसर एवं संभावनाएं - भारत में कृषि की घटती जोत, संसाधनों की कमी, लगातार कम होती कार्यकुशलता और कृषि की बढ़ती लागत तथा साथ ही उर्वरकों एवं कीटनाशकों के पर्यावरण पर बढते

कुप्रभाव को रोकने में नि:संदेह जैविक खेती एक वरदान साबित हो सकती है।" जैविक खेती द्वारा टिकाऊ खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन व स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त कर टिकाऊ खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित की जा सकती है।" जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आज खेती की सबसे बड़ी मांग है खेतों में विविधता तथा फसलों के साथ वृक्षों व जानवरो का संयोजन | " एक ही प्रजाति की सफले बार-बार एक ही खेत में न उगाकर एक नई विस्तृत वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना होगा, जिससे हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे तथा हमारी भूमि के पोषक तत्वों (उर्वरता) का भी हास न हो । " खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मृदा उर्वरता में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के लिये मिट्टी के महत्व को समझते हुये संयुक्त राष्ट्रसंघ की 68वीं महासभा में मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी के विकास तथा संपोषण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा (मिट्टी) वर्ष घोषित किया है। 18 खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षा के कवरेज क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्रों के विस्तार की योजना, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास, मिट्टी के उपजाऊपन और उत्पादकता में पुनरुद्धार कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करके विभिन्न कृषि कार्य-कलापों में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग, समुचित जल प्रबंधन करना, कृषि और संबंध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना आदि तत्वों को सम्मिलित करके तथा इन तत्वों को ठोस नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू करके देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति को पनपने से रोका जा सकता है। "

खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरों को भांपते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्य योजनाएं बनायी गई है, जो खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाने में सहायक होगी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में देश में 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' विकसित करने की ठोस पहल की गई है। उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रमुख फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में तथा कृषि विधियों का विकास किया जा रहा है। जिसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या सर्दी को सहने की क्षमता मौजूद होती है। सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिए टपक सिंचाई, फुब्बारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीके विकसित की गई है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए 'पर ड्राप, मोर क्रॉप' जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं भूमि की उर्वरता को सतत् बनाए रखने के लिए 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' जैसा कार्यक्रम शुरू किए गए है। जिसके अंतर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर 'सॉयल हैल्थ कार्ड' जारी किए जा रहे है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीन परिवर्तन या जेनेटिक इंजीनियरी की बेहद क्षमतावान विद्या तकनीकी रूप से हमारे पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते है।

हाल के वर्षों में सतत् कृषि की अवधारणा भी विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और सतत् उपयोग द्वारा कृषि प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है । उवर्तरकों और कीटनाशकों के संदर्भ में नैनो- टेक्नोलॉजी का उपयोग नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार यंत्रीकरण और कृषि में ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में भी नवोन्मेशों द्वारा कृषि उत्पादन को अधिक कुशल और सक्षम बनाने की अनेक संभावनाएं मौजूद है। उदाहरण के तौर पर फसट कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें एक स्पष्ट और कारगर नीति बनानी होगी। खाद्य सुरक्षा के भविष्य को लेकर सरकार, योजनाकार और अन्य संबंधित लगातार गहन विचार-विमर्श करते हुए नई पहल कर रहे है। इसलिए आशा के साथ विश्वास भी है कि भारत के खाद्य सुरक्षा निरंतर और सतत् बनी रहेगी।

निष्कर्ष - स्वतंत्रता के बाद से आज तक सभी के लिए 'खाद्य सुरक्षा' एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुकी है। पहले खाद्य सुरक्षा का अर्थ पेटभर रोटी के संदर्भ में समझा जाता था। किन्तु आज खाद्य सुरक्षा के आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रख-रखाव तक जा पहुंचा है। आज खाद्य सुरक्षा के समक्ष विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या होने के साथ-साथ भारत में कुपोषण एवं गरीबी एक बड़ी चुनौती है। क्रयशक्ति की अपर्याप्तता के कारण गरीब वर्ग ही खाद्य

असुरक्षा के सर्वाधिक शिकार है । अत: गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी निवारण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी व ईमानदारी पूर्वक करके ही गरीब वर्ग 'खाद्य सुरक्षा' की दिशा में कमद बढ़ा सकते है। कैलोरी आधारित पुरानी पद्धति का परित्याग करके आवास, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी गरीबी के पैमाने में समाहित किया जाए तभी गरीबी की वास्तविक तस्वीर उजागर होगी तथा सही मायनों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना संभव होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मोदी के एम. - खाद्य सुरक्षा चुनौतियां और समाधान, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 58, अंक : 05, मार्च 2012
2. शर्मा अनिल - खाद्य सुरक्षा द्वारा महिला सशक्तीकरण का प्रयास, योजना, वर्ष : 58, अंक : 12, दिसम्बर 2013
3. स्वामीनाथन मथुरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, योजना, वर्ष : 58, अंक : 12, दिसम्बर 2013,
4. शर्मा हरिकिशन - खाद्य सुरक्षा कानून का अवलोकन : कुरूक्षेत्र, वर्ष : 63, अंक : 4, फरवरी 2017,
5. टेकाम केशन एवं दहायत तुलसीराम अब कोई नहीं रहेगा भूखा, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 60, अंक : 01, नवम्बर 2013,
6. उपाध्याय देवेन्द्र - देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 60, अंक : 01, नवम्बर 2013,
7. प्रपन्न कौशलेन्द्र - भूखे बचपन के लिए खाद्य सुरक्षा, योजना, वर्ष : 58, अंक : 12, दिसम्बर 2013,
8. महरा गिरिजेश सिंह एवं जोशी प्रतिभा - 'खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा' की ओर कुरुक्षेत्र, वर्ष : 63, अंक : 4 फरवरी 2017,
9. तिवारी के. एन. एवं तिवारी राकेश - जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रभाव, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 63, अंक : 4 फरवरी 2017,
10. सक्सेना जगदीप - भारत में खाद्य सुरक्षा, दशा-दिशा और भावी परिदृष्य, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 63, अंक : 4, फरवरी 2017,
11. कुमार वीरेन्द्र - खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां एवं निदान, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 60, अंक : 01, नवम्बर 2013,
12. रावत गजेन्द्र कुमार - खाद्य सुरक्षा संरक्षण के प्रयास, कुरुक्षेत्र, वर्ष